

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14470/2019

- बाबूलाल पुत्र श्री रामचंद,
 - सुशीला पत्नी बाबूलाल,
- दोनों कुसलपुरा जाटान तहसील और जिला सवाईमाधोपुर के निवासी हैं

----याचिकाकर्ता

बनाम

- अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास सवाईमाधोपुर
- सचिव, नगर सुधार न्यास सवाईमाधोपुर
- तहसीलदार, सवाईमाधोपुर

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओ) के लिए : श्री देवेंद्र कुमार भारद्वाज, एडवोकेट।

माननीय श्री. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

आरक्षित तिथि :: :: :: 28.11.2024

घोषित तिथि :: :: :: 03.12.2024

1. यह याचिका उप-मंडल अधिकारी, सवाई माधोपुर (इसके बाद 'एसडीओ') और राजस्व मंडल, अजमेर (इसके बाद 'बोर्ड') द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 25.05.2017 और 22.05.2018 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 27.06.1976 को याचिका में वर्णित भूमि, ग्राम कुतलपुरा जाटान, जिला सवाई माधोपुर में स्थित, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के भाई रामनारायण को आवंटित की गई थी। संवत् 2034 से 2037 तक की राजस्व प्रविष्टियाँ रामनारायण के नाम दर्ज की गईं। जिला कलेक्टर ने 07.07.1980 के आदेश द्वारा इस आधार पर आवंटन रद्द कर दिया कि भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आती है और आवंटन नियमों के विरुद्ध है। रद्दीकरण को चुनौती देने वाली प्रथम और द्वितीय अपीलें क्रमशः 20.06.1983 और 18.11.1988 के आदेशों द्वारा खारिज कर दी गईं। विचाराधीन भूमि 31.03.1989 को सवाईचक के रूप में दर्ज की गई थी और 10.10.2014 को नगर सुधार न्यास (इसके बाद 'यूआईटी') को आवंटित की गई थी। यूआईटी को भूमि आवंटन से

व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे आगे '1956 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 136 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। 25.05.2017 को उपखंड अधिकारी द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया। संभागीय आयुक्त ने 29.12.2017 के आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर ली और उपखंड अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। यह माना गया कि रामनारायण के पक्ष में भूमि आवंटन निरस्त न होने पर, भूमि को राजस्व अभिलेखों में सवाईचक के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता था। बोर्ड ने 22.05.2018 को द्वितीय अपील स्वीकार कर ली। यह पाया गया कि 1956 के अधिनियम की धारा 136 त्रुटियों के सुधार के लिए है और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा 1956 के अधिनियम की धारा 136 के तहत दायर आवेदन पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने में त्रुटि की थी। इसके अतिरिक्त, रामनारायण के पक्ष में भूमि आवंटन रद्द करने का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और भूमि को सही रूप से सवाईचक के रूप में दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को बोर्ड ने 07.09.2018 को खारिज कर दिया, इसलिए यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह भूमि रामनारायण को आवंटित की गई थी, उनके जीवनकाल में ही इसका कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया गया था और तब से वे इस पर खेती कर रहे हैं। तर्क यह है कि अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह भूमि नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित थी और इसे कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता था।

4. रामनारायण को भूमि आवंटन रद्द करने की कार्यवाही के अंतिम रूप से पारित होने पर, याचिकाकर्ता, रामनारायण के उत्तराधिकारी होने के नाते, भूमि के खातेदार होने का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता, रामनारायण के उत्तराधिकारी हैं और आवंटियों से बेहतर स्थिति में नहीं हो सकते।

5. यह तर्क कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विचाराधीन भूमि नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आती है, इस विलम्बित चरण में विचारणीय नहीं है। रामनारायण के पक्ष में आवंटन इस आधार पर रद्द किया गया था कि नगरपालिका सीमा में होने के बावजूद भूमि का आवंटन गलत तरीके से किया गया था। आवंटी ने रद्दीकरण को चुनौती देते हुए दोनों अपीलों में विफलता प्राप्त की। कार्यवाही अंतिम हो गई है और 1956 के अधिनियम की धारा 136 के तहत कार्यवाही में

इसे पुनः नहीं खोला जा सकता।

6. बोर्ड ने सही कहा कि धारा 136 के तहत हस्तक्षेप का दायरा सीमित है।

7. 1956 के अधिनियम की धारा 136 को पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

"136. [त्रुटियों का सुधार - भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, निर्धारित तरीके से किसी भी लिपिकीय त्रुटि और किसी भी त्रुटि को सही कर सकता है या सही करवा सकता है, जिसे हितबद्ध पक्षकार अधिकारों के रिकॉर्ड या रजिस्टर में किए गए हैं, या जो राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस कर सकता है: बशर्ते कि जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान अधिकारों के किसी भी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि देखी जाती है, तो कोई भी त्रुटि तब तक सही नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षों को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया हो।]"

8. धारा 136 राजस्व अधिकारी को किसी लिपिकीय त्रुटि या उन त्रुटियों को सुधारने की शक्ति प्रदान करती है जिन्हें हितबद्ध पक्षकार अधिकारों के अभिलेख या रजिस्टर में स्वीकार करता है या अभिलेख के निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रकट करता है। याचिकाकर्ता द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए 1956 के अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे उचित रूप से पोषणीय न मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया।

9. बोर्ड द्वारा पारित सुविचारित और तर्कपूर्ण आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/382

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate